राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001.
दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स/ Fax: (0294)-2410526

क्रमांकःनिदे/प–2/कास/नियम/2017/393 दिनांकः–01–05–2018

परिपत्र

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के तहत पूर्व में प्रधान खनिजों के स्वीकृत खनन पट्टो में अप्रधान खनिज जैसे–मैसेनरी स्टोन, बजरी, कंकड इत्यादि खनिजों का समावेश का प्रावधान नहीं होने से इन खनिजों को ऑवरबर्डन मानते हुए ओवर बर्डन के परमिट जारी किये जाते थें। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–02–2015 से 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया। इस प्रकार अप्रधान खनिज घोषित होने के पश्चात उक्त 31 खनिजों के स्वीकृत खनन पट्टों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के तहत खनिज समावेश किया जा सकता हैं।

यह ध्यान में आया है कि कतिपय कार्यालयो में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–02–2015 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रभाव में आने के पश्चात भी अभी तक अतिरिक्त खनिजों का समावेश नहीं किया गया हैं। खनिज समावेश नहीं करने पर अथवा खनिज समावेश की बजाय ऑवरबर्डन के परमिट के आधार पर नये खनिज के निर्गमन की अनुमति दिये जाने से खनिज समावेश से प्राप्त होने वाली प्रीमियम राशि की हानी हो रही है साथ ही खनन पट्टे का स्थिर भाटक भी नहीं बढाया गया हैं।

यह भी ध्यान में आया है कि कतिपय पट्टेधारियों द्वारा जानबुझकर धृत खनन पट्टों में स्वीकृत खनिजों के अलावा खनन पट्टो से निर्गमित अन्य खनिजों का समावेश नहीं करवाया जा रहा है। पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत खनिजों के अलावा खनन पट्टों से उत्पादित/निर्गमित अन्य खनिजों को विशेष परमिट के तहत ऑवरबर्डन के रूप में निर्गमन किया जा रहा हैं, जिससे राज्य सरकार को स्थिर भाटक, प्रीमियम का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कन्सेन्ट टूँ ऑपरेट/पर्यावरण क्लीयरेन्स(ई.सी.) में अनुमत खनिज मात्रा से अतिरिक्त खनिज ऑवरबर्डन के रूप में निर्गमित करने के कारण पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन होता हैं।

अतः समस्त खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को निर्देशित किया जाता हैं कि जिन धृत खनन पट्टों में स्वीकृत खनिजों के अलावा निर्गमित अन्य खनिजों का नियमानुसार समावेश किया जा सकता हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल परमीट पट्टेधारी या उसके सहमतिधारक को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम–52(1) के तहत खनन पट्टा क्षैत्र से निर्गमन करने हेतु जारी नहीं किया जावें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करावें कि एम.ओ.आई.एफ. की स्पष्ट गाईड लाईन आने तक स्वीकृत खनन पट्टा क्षैत्रों में पडे हुए डम्प(Overburden) से खनिजों के स्पेशल परमीट/एस.टी.पी. जारी नहीं किया जावें।

1-5-18
(डी.एस.मारू)
निदेशक

क्रमांकःनिदे/प–2/कास/नियम/2017/394 – 398 दिनांकः–01–05–2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2– समस्त अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन।
3– समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत्त।
4– समस्त खनि अभियन्ता।
5– समस्त सहायक खनि अभियन्ता।

1-5-18
(डी.एस.मारू)
निदेशक

By Speed Post/Online

No. Z-11013/49/2018-IA.II (M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division
***

Indira Paryavaran Bhawan
Vayu Wing, 3rd Floor, Aliganj,
Jor Bagh Road, New Delhi-110 003

Dated: 18th June, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Clarification for carrying out the mining of minerals including over burden and dump mining as per the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 as amended from time to time-regarding

Please refer the communication of Department of Mines and Geology, Govt. of Rajasthan, vide Circular No. Karmank/Nide/P-2/Kas/Niyam/2017/393 dated 01.05.2018 which *inter-alia* has instructed to all concerned that no Special Permit/STP will be issued to transport the overburden until a clear cut guideline is issued by the MoEFCC.

2. The matter has been examined in the Ministry and it is submitted that mining projects including dump mining, overburden mining etc. do require the prior Environmental Clearance as per the provisions of Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006. **Therefore it is clarified that as per the provisions of the EIA Notification, 2006, the mining projects stated in the schedule require prior environmental clearance irrespective of the size of the mine lease area and type of mineral including over burden and dump mining.**

3. This issue with the approval of Competent Authority.

18/6/18
(Surendra Kumar)
Adviser

To,

1). The Chairman of all the SEAC/SEIAA of States/UTs

2). The Member Secretary of all the SEAC/SEIAA of States/UTs

3). The Principal Secretary, Mines and Geology, all States/UTs

4). The Member Secretary, all SPCBs/PCCs

5). The Secretary, Department of Mines & Geology, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan (w.r.t. Circular no. Karmank/Nide/P-2/Kas/Niyam/ 2017/393, dated 01.05.2018)

6). All Regional offices of the MoEFCC

Copy for information to:-

1). PS to Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change
2). PS to Hon'ble MOS for Environment, Forest and Climate Change
3). PPS to Secretary (EF&CC)
4). PPS to AS (AKJ)/AS(AKM)
5). PS to JS(GB)/JS(JT)
6). All officers in IA Division
7). Guard File
8). MoEF&CC website

18/6/18
(Surendra Kumar)
Adviser